

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA(HQ) MMGSY (W.B)-109/16 -152

/पटना, दिनांक- 5.2.18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा.प्र.से.
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0518-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित), जिसका विपत्र कोड संख्या-4515 00 103 0518 है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्न योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु अलग-अलग योजनाओं के लिए पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाराज,

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत (विश्व बैंक सम्पोषित) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पथ निर्माण की कुल 23 अदद योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl No.	District	Division	Block	Name of Road	CNCPL / CUPL Sl No.	Length (in km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Araria	Araria	Jokihat	Pipra Yusuf Chowk to Bara Gargari School to Madarsa	6	1.012	5500	65.080
2	Araria	Araria	Palasi	PMGSY Chori To Jha Tola	113	0.510	752	32.900
3	Araria	Araria	Sikti	Karahbari Dhanuk Tola west to Brahman Tola	88	1.156	380	69.640
4	Araria	Araria	Sikti	Bardaha Panchaiyat Bhawan East to Dahgama Mushari tola, Muslim Tola Bardha	86	0.661	430	38.000
5	Araria	Araria	Sikti	Kasat Bazar to Kasat Sutlhar Tola	102	1.070	300	65.430
		Araria Total		5		4.409	7362	271.050
6	Buxar	Dumraon	Brahampur	Brahmpur Rahthua Path to Bharkhar Dera	15	0.870	260	61.51
7	Buxar	Dumraon	Navanagar	Vaina School to Vaina Purab Tola	4	0.700	2167	45.94
8	Buxar	Dumraon	Navanagar	Budhaila Dera Me Mukhiya Ji ke Ghar to Nanaura Dera	57	0.600	250	39.92
		Dumraon Total				2.170	2677	147.37

Sl No.	District	Division	Block	Name of Road	CNC PL / CUPL Sl No.	Length (in km)	Total Population Served	Administrative Approved Amount (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	East Champaran	Motihari	Sugauli	Raipatti to Kudanagar	15	3.68	386	247.80
		Motihari Total		1		3.68	386	247.80
10	Gopalganj	Gopalganj-1	Kuchaikote	PWD Road to Gopalpur Ahir Tola	33	1.300	610	85.060
11	Gopalganj	Gopalganj-1	Thawe	Barari Jagdish PMGSY Road to Nayka Tola	15	1.000	260	72.400
		Gopalganj-1 Total		2		2.300	870	157.460
12	Patna	Barh	Pandarak	Bihari Bigha Chowk to Kondi	11	2.885	1059	167.146
		Barh Total		1		2.885	1059	167.146
13	Patna	Patna	Daniyawa	NH-30A to Angrejchak	11	0.875	656	52.600
14	Patna	Patna	Fathua	Chamardih to Jamunapur	4	1.075	2370	63.060
15	Patna	Patna	Sampatchak	Suraksha Bazar Albakaspur to Udaypur	20	1.000	500	62.140
		Patna Total		3		2.950	3526	177.800
16	Saran	Chapra-1	Garkha	PMGSY Pohia to Fatanpur via Nonia Tola	36	1.215	869	70.06
17	Saran	Chapra-1	Nagra	Basdila Sahpur PMGSY (Ramasray Mahto ke Ghar) to Arwan Navsirjit Primary School	2	1.390	3644	73.300
18	Saran	Chapra-1	Nagra	T01 Tatarpur PMGSY (Chimni Bhatta) to Jahanpur	14	1.22	557	61.28
		Chapra-1 Total		3		3.825	5070	204.74
19	Saran	Marhaura	Amnaur	Breldi Rasulpur Tehti Marhaura Path to Bigan Rai Tola	30	1.295	714	80.7
20	Saran	Marhaura	Masrakh	Kawalpura PMGSY road to Harizan Basti Kishanpura	21	1.370	825	82.9
21	Saran	Marhaura	Panapur	Simri Pakki Sadak to Pipra Singhahi Pakki Sadak Tak	52	1.320	550	93.72
22	Saran	Marhaura	Panapur	Panapur Rasauli Pakki Sadak to Nut Basti Hote Huye Nahar Tak	63	0.975	400	65.60
23	Saran	Marhaura	Taraiya	Sitalpur Rajwara PMGSY path to Bachcha Singh ke Dhala hote hue Gandk nadi par.	14	1.395	1200	91.21
		Marhaura Total		5		6.355	3689	414.13

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 02.01.2018 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-
- (क) इस योजनाओं को वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
 - (ख) संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - (ग) स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।
 - (घ) संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडलों योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
4. कार्य ई-निविदा के माध्यम से विश्व बैंक के MBD के आधार पर कराया जायेगा।
5. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।
6. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0518-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित), जिसका विपत्र कोड संख्या-4515 00 103 0518 है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
10. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच ता0 तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
11. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 02.01.2018 को संचिका संख्या BRRDA(HQ) MMGSY (W.B)-109/16 के पृष्ठ-36/टि0 पर प्राप्त है।
12. इस योजना मद में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्रावकलन कि विधिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।